

**बिहार सरकार**  
**समाहरणालय रोहतास**  
**कार्यालय—जिला पशुपालन पदाधिकारी, रोहतास**  
**निविदा**

सरकारी अधिकारण को सूचित किया जाता है कि आपदा (बाढ़/सुखाड़) की स्थिति में विशेष वर्ष 2019-20 में, रोहतास जिला अन्तर्गत बाढ़/सुखाड़ प्रभावित प्रदेशों में प्रभावित पशुओं के लिए सुखा चारा गेहूं या भूसा/नेवारी कुट्टी एवं पशु दाना क्रय को लिए दर एवं आपूर्तिकर्ता को निर्धारण हेतु सीलबन्द दो लिफाफा में निविदा ली जाएगी। एक लिफाफा में तालनीकी एवं दूसरे लिफाफा में विशेष निविदा रहेगा। दोनों लिफाफा एक बड़े लिफाफा में बन्द होगा। तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता वा ही विशेष निविदा खोला जाएगा। निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि दिनांक 10.07.2019 के अपराह्न एक बजे तक होगी। निविदा उसी दिन तीन बजे अपराह्न में यार्यालय उप विकास आयुक्त, रोहतास, सासाराम के बाद ने खोला जाएगा। जिसमें निविदादाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं, लेकिन उनके अनुपस्थिति में भी प्राप्त निविदा खोलने का कार्य किया जा सकेगा। सुखा चारा तथा गेहूं का भूसा एवं नेवारी कुट्टी तथा पशु दाना का क्रय आवश्यकतानुसार संबंधित पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। आपूर्ति आदेश आवश्यकतानुसार संबंधित पदाधिकारी हारा ही दिया जाएगा। एवं भुगतान भी उन्हीं को स्तर से किया जाएगा।

**निविदा की तकनीकी शर्तें—**

1. निविदा के साथ अधबन के रूप में 2000.00 (दो हजार) रुपये मात्र का किसी राष्ट्रीयवृत्त बैंक का डिनार्ड झापट (जिला पशुपालन पदाधिकारी, रोहतास के पास में) जमा करना अनिवार्य है।
2. निविदादाता द्वारा आपूर्ति की जानेवाली सूखा चारा यथा गेहूं भूसा एवं नेवारी कुट्टी तथा पशु दाना का अलग-अलग 200-200 ग्राम नमूना के रूप में पारदर्शी प्लास्टिक के थैला में रीढ़ बन्द कर निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य है।
3. निविदादाता को निविदा के साथ जाघार काई, पैन काई वी स्वअभिप्राणित छायाप्रति देना अनिवार्य होगा।
4. निविदादाता को विहार या विहार से बाहर जाली रूची में दर्ज नहीं होने एवं निविदा के सभी शर्ते नियुक्त होने वा शापथ-पत्र सलग्न करना अनिवार्य होगा।

**निविदा वी सामान्य शर्तें—**

1. निविदा में सूखा चारा यथा गेहूं भूसा एवं नेवारी कुट्टी तथा पशु दाना का प्रति विवरण दर (आपूर्ति आदेश ने अंकित रथान तक पहुँचाने का परिवहन लागत सहित) अंकित रहना अनिवार्य है। उक्त अंकित दर के अतिरिक्त अन्य खोई भी राशि (परिवहन व्यय इत्यादि) देय नहीं होगा।
2. आपूर्ति सूखा चारा यथा गेहूं भूसा एवं नेवारी कुट्टी तथा पशु दाना निविदा के साथ जमा किए गए नमूनों के अनुलप नहीं होने पर आपूर्ति नहीं ली जाएगी।
3. आपूर्ति आदेश निर्धारित ठोने के पश्चात अविलम्ब पशु चारा यथा गेहूं भूसा एवं नेवारी कुट्टी राशि पशु दाना उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराएं। आपूर्ति नहीं करने पर आपूर्ति आदेश रद्द करते हुए अधबन की राशि यथा तक के लिए प्रगती गानी जायेगी।
4. अनुमोदित दर अगले दर निर्धारण/एक वर्ष (दोनों में से जो पहले हो) तक के लिए प्रगती गानी जायेगी।
5. आपूर्ति आदेश के अनुसार सूखा चारा यथा गेहूं भूसा एवं नेवारी कुट्टी तथा पशु दाना की आपूर्ति करने की सूचना पूर्व में देई नहीं होगी।
6. एक रो अधिक निविदादाताओं को एक ही दर स्वीकृत होने पर संबंधित पदाधिकारी द्वारा किसी भी निविदादाता/आपूर्तिकर्ता वो आपूर्ति आदेश देने का अधिकार सुरक्षित होगा।
7. जिला पशुपालन पदाधिकारी, रोहतास को दिना कोई वारण यताए निविदा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
8. निविदा सूचना के लिए विभागीय येवराइट [www.ahd.bih.nic.in](http://www.ahd.bih.nic.in) पर देखा जा सकता है। विशेष जानकारी कार्यालय अधिकारी ने जिला पशुपालन कार्यालय, रोहतास से प्राप्त वी जा रक्ती है।

१४/६/१९

जिला पशुपालन पदाधिकारी  
रोहतास, (सासाराम)

८/९/२०१९

८/९/२०१९/०६/१९

जिला पदाधिकारी  
रोहतास, सासाराम